न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 100/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरलर्स रिर्सोसेस लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम बीजानगरी तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **91.09** हेक्टेयर भूमि में से **54.41** हेक्टेयर भूमि की मांग बंधा कॉल ब्लाक में वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम बीजानगरी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा
1	3/1	11.040	5.52
2	66/1	4.460	2.48
3	2	31.650	12.07
4	10/2	9.720	9.720
5	9	5.700	5.700
6	4/1	4.640	3.79
7	5/1	14.500	10.98
8	10/1	9.380	4.15
	कुल किता 8	**91.09 हेक्टेयर**	**54.41 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी कीं गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/131 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को जत्र जारी कर आपत्तिध्अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। संबंधित विभाग अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 94/ तक. / 2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 प्राप्त। जो प्रकरण संलग्न है एवं ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा पत्र क्रमांक/ग्रा.पं. / 2024/18 दिनांक 29.08.2024 प्रकरण संलग्न है। म.प्र.प.क्षे.वि. वि.कं.लिमि. जयसिंहपुरा पत्र का क्रमांक / कं.यं. / जयसिंहपुरा / कार्य. /2023-24/37 दिनांक 15.04.2024 प्राप्त जो प्रकरण संलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक / 2024/641 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 द्वारा प्रस्तुत जो प्रकरण संलग्न है एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।प्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा द्वारा अपने ठहराव / प्रस्ताव दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकबा 31.65 है. में से 12.07 हे., 66/1 रकबा 4. 46 है. में से 2.48 हे., 10/1 रकबा 9.38 हे. में से 4.15 हे., 10/2 रकबा 9.72 हे. में से 9.72 हे., 9 रकबा 5.70 हे., 5/1 रकबा 14.50 हे. में से 10.98 हे., 4/1 रकबा 4.64 हे. में से 3.79 हे., 3/1 रकबा 11.04 हे. में से 5.52 हे. कुल किता 08 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54.41 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा असहमति दी गई है।प्रकरण में पटवारी ग्राम बीजानगरी जांच प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित गया है ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकबा 31.65 है. में से 12. 07 हे., 66/1 रकबा 4.46 हे. में से 2.48 हे., 10/1 रकबा 9.38 हे. में से 4.15 हे., 10/2 रकबा 9.72 हे. में से 9.72 हे., 9 रकबा 5.70 हे., 5/1 रकबा 14.50 हे. में से 10.98 हे., 4/1 रकबा 4. 64 हे. में से 3.79 हे., 3/1 रकबा

11.04 है. में से 5.52 हे. कुल किता 08 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54.41 हे. की भूमि की नोईयत घासबीड/बर्डी/गोचर/गौठान दर्ज है। ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 148.85 हे. दर्ज है। आवेदित भूमि यदि आंवटित की जाती है तो चरनोई का शेष कुल रकबा 136. 13 हे. चरनोई भूमि का रकबा 2 प्रतिशत 2.91 हे. होता है। यदि आवेदित भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा प्रभावित नहीं होगा। उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 54.41 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम बीजानगरी की सिंचित भूमि 15,23,800/- (पंद्रह लाख तेईस हजार आठ सौ रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 13,26,55,932/- (तेरह करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार नौ सौ बत्तीस रूपये) होना लेख किया गया है। वन विभाग, आगर-मालवा मप्र शासन को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रतिवेदित किया गया है।प्रकरण में नायब तहसीलदार बीजानगरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकबा 31.65 है. में से 12.07 हे., 66/1 रकबा 4.46 हे. में से 2.48 हे., 10/1 रकबा 9.38 हे. में से 4.15 हे., 10/2 रकबा 9.72 हे. में से 9.72 हे., 9 रकबा 5.70 हे., 5/1 रकबा 14.50 हे. में से 10. 98 हे., 4/1 रकबा 4.64 हे. में से 3.79 हे., 3/1 रकबा 11.04 है. में से 5.52 हे. कुल किता 08 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54. 41 हे. भूमि आवेदक के आवेदन के परिपेक्ष में वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा) महोदय अनुभाग आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 , को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकबा 31.65 है. में से 12.07 हे., 66/1 रकबा 4.46 हे. में से 2.48 हे., 10/1 रकबा 9.38 हे. में से 4.15 हे., 10/2 रकबा 9.72 हे. में से 9.72 हे., 9 रकबा 5.70 हे., 5/1 रकबा 14.50 हे. में से 10. 98 हे., 4/1 रकबा 4.64 हे. में से 3.79 हे., 3/1 रकबा 11.04 है. में से 5.52 हे. कुल किता 08 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54. 41 हे. भूमि को बंधा कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2 रकबा 31.65 है. में से 12.07 हे., 66/1 रकबा 4.46 हे. में से 2.48 हे., 10/1 रकबा 9.38 हे. में से 4.15 हे., 10/2 रकबा 9.72 हे. में से 9.72 हे., 9 रकबा 5.70 हे., 5/1 रकबा 14.50 हे. में से 10. 98 हे., 4/1 रकबा 4.64 हे. में से 3.79 हे., 3/1 रकबा 11.04 है. में से 5.52 हे. कुल किता 08 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54. 41 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत

प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरलर्स रिर्सोसेस लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम बीजानगरी तहसील बडौद स्थित कुल किता 8 कुल रकबा 91.09 हे. में से 54. 41 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 13,26,55,932/- (तेरह करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार नौ सौ बत्तीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नगल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-him 18/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/ 368
आगर मालवा, दिनांक 18/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी ईएमआईएल माईन्स एण्ड मिनरलर्स रिर्सोसेस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-him 18/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598395432 81QK56D8S2GYH0	2/1 (S)		12.0700 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

रु.0.00

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी	पटवारी हल्का:बीजानगरी	तहसील:बड़ौद	जिला:आगर-मालवा	वर्ष: 2024-2025

भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे: फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598395375 81QK10D8S7CUH0	3/1/1 (S)		5.5200 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598395421 81QJ54D8S4P7H0	4/1/1 (S)		3.7900 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

specimen copy

			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598395408 81QHMDD8S41TH0	5/1/1 (S)		10.9800 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1012160125 81QEUPD8S3Z1H0	9 (S)		5.7000 हेक्टेयर गोठान हेतु सुरक्षित	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

			5.7000							
			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598395465 81QFZQD8RURQH0	10/1/1 (S)		4.1500 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

			रु.0.00							न्या.नायब तह.महो.के प्र.क्र.25/2000-01अ.3 दि.23.7.01 से बटांकन स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1013449588 81QE7KD8S0QTH0	10/2 (S)		9.7200 हेक्टेयर गोचर नि.	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

			9.7200 रु.0.00							न्या.नायब तह.महो.बड़ौद के प्र.क्र.25/2000-01 अ 3 दि.23.1.01 के पालन में बटांकन स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394093 81QLUSD8S8R5H0	66/1/1 (S)		2.4800 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन शासकीय	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0100/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00							

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट